अनुलग्नक 'एक्स'

सूचना

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में दुकानों आदि के आवंटन हेतु नये लाइसेंस जारी किये जाने है, जिसकी विस्तृत जानकारी वेवसाइट www.bhu.ac.in एवं https://eprocure.gov.in/publish/app पर उपलब्ध है एवं फार्म वेवसाइट से प्रिंट करके दिनांक 21.08.2026 से 20.09.2026 तक प्रशासनिक भवन, राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बरकछा, मीरजापुर के कार्यालय के बॉक्स में ऑफलाइन अथवा डाक द्वारा गोपनीय भेजा जा सकता है।

B. M. N. Kumar

आचार्य प्रभारी,

रा.गाँ.द.प., बरकछा

Advertisement No: RGSC/BHU/2026-27/ePro/

Dated: 21.08.2026

BID DOCUMENT

For

Operating of Shops, Gumaties etc. within the premises of Rajiv Gandhi South Campus, Banaras Hindu University, Barkachha, Mirzapur.

Issued On: 21.08.2026

Office of the Professor In-charge
Rajiv Gandhi South Campus
Banaras Hindu University
Barkachha, Mirzapur-231307, INDIA

INVITATION FOR BIDS

Rajiv Gandhi South Campus, Banaras Hindu University, *Barkachha, Mirzapur-231307*

e-Procurement Notice

Ref: No: RGSC/BHU/2026-27/ePro/ **Dated: 21.08.2026**

Offline Tenders are hereby invited **for Operating of Shops, Gumaties etc. within the premises of RGSC, BHU, Barkachha, Mirzapur.**

Bidders can download complete set of bidding documents from e-procurement Platform https://eprocure.gov.in/publish/app from 21.08.2026 onwards.

Last Date/Time for receipt of bids is: 20.09.2026 up to 03:00 PM late bids shall not be accepted.

For further details regarding Tender Notification & Specifications please visit website:https://eprocure.gov.in/publish/app and www.bhu.ac.in.

CRITICAL DATE SHEET

Published Date	**21.08.2026**
Bid Submission Start Date	**21.08.2026**
Bid Document Download End Date	**20.09.2026**
Bid Submission End Date	**20.09.2026**
Bid Opening Date	**At Licence Committee Meeting**

sd/-

Professor In-Charge,
RGSC,BHU,
Barkachha, Mizapur

List of vacant shops/Gumaties etc. at Rajiv Gandhi South Campus, Banaras Hindu University, Barkachha, Mirzapur

SL. NO	TYPE OF SHOP	LOCATION	AREA (SQ.FT.)	Minimum RESERVE PRICE Per Month (Rs.)	Remarks
1.	Women's Salon	Girls Hostel Premises	200	2,756	
2.	Ladies' Tailor	Behind Guard Barrak, Near Malviya Park	192	2,880	
3.	Vegetable & Fruit	Behind Guard Barrak, Near Malviya Park	192	1,500	
4.	Xerox Centre (Photocopy)	Central Library Building	80	1,323	

Note: Tender Form along with other terms & conditions is enclosed herewith as Annexure 'A' & 'B'. All the applicants are requested apply on the given Form as per the attached terms & conditions.

नोट: फार्म के साथ निविदा की नियम एवं शर्तें क्रमशः अनुलग्नक 'ए' और 'बी' पर संलग्न हैं। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि संलग्न नियमों और शर्तों के अनुसार दिए गए फार्म पर आवेदन करें।

राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा
मीरजापुर-231307

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में दुकान/गुमटी आदि के संचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

नवीनतम फोटोग्राफ

अध्यक्ष,
खाद्य प्रबंधन एवं दुकान
आवंटन समिति,
राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
मीरजापुर-231001

विषयः- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में दुकान/गुमटी आदि के संचालन हेतु निविदा

महोदय,

आपके द्वारा उपरोक्त.. (दुकान आदि का विवरण व स्थान) संचालन हेतु आमन्त्रित निविदाओं हेतु मैं/हम, अपनी निविदा, आप द्वारा निविदा सूचना में दी गयी नियमों व शर्तो पर प्रस्तावित कर रहा हूँ/रहें हैं।

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि (लाइसेंस फीस) रू...(अंको में) रू. ....(शब्दों में) प्रतिमाह है।

1. मैं/हम उपरोक्त दुकान आदि के स्थान एवं स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट हैं तथा निविदा सूचना में अंकित सभी नियमों एवं शर्तो को ध्यान से पढ़ा हूँ/पढ़े हैं। मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/है कि उपरोक्त दुकान की निविदा स्वीकृत होने के 30 दिनों के अन्दर संचालन प्रारम्भ कर दूँगा/देगें।
2. मैं/हम अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) के रूप में अध्यक्ष, खाद्य प्रबन्धन एवं दुकान आवंटन समिति, राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मीरजापुर के नाम से रू 20,000/- (रू. बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट नं...................... (बैंक का नाम)... दिनांक........................... इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं जिसकी वापसी की दशा में मेरे/हमारे द्वारा कोई ब्याज प्राप्य नहीं होगा।
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि यदि निविदा स्वीकार होने के 7 (सात) दिनों के अन्दर मैने/हमने कुल निविदा धरोहर राशि (प्रस्तावित निविदा राशि का तीन गुना) जमा नहीं किया तो उपरोक्त अर्नेस्ट मनी डिपोजित (EMD) को समायोजित कर लिया जायेगा।
4. मैं/हम इस बात से भी भिज्ञ हुँ/है कि अध्यक्ष, खाद्य प्रबंधन एवं दुकान आवंटन समिति, राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मीरजापुर सर्वाधिक निविदा राशि वाली निविदा अथवा अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है।
5. उपरोक्त प्रस्तावित निविदा राशि मेरे/हमारे द्वारा शब्दो एवं अंको दोनो मे दी गयी है। यदि किसी भी प्रकार से दोनो में अन्तर पाया जाता है तो उनमें से जो राशि अधिक होगी वही मान्य होगा और इस सम्बन्ध में मुझे/हमें विश्वविद्यालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

(निविदा कर्ता का हस्ताक्षर) :
(निविदा कर्ता का नाम) :
पिता/पति का नामः
पत्राचार हेतु पता :
फोन/मोबाइल नं. :
दिनांक :

पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र (संलग्नक सहित):
(आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पैन कार्ड आदि)

अनुभव प्रमाण पत्रः
(संलग्नक सहित)

अनुलग्नक 'बी'

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

आचार्य प्रभारी कार्यालय राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में दुकान, गुमटी आदि के आवंटन हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में सुनिश्चित स्थानों पर दुकान आदि के सचालन हेतु 11 महीनों के लिये मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा की अवधि प्रथमतः 11 महीनों के लिये होगी, जो कि लाइसेंस प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति के कार्य की गुणवत्ता इत्यादि को देखकर बढ़ायी भी जा सकती है।
2. प्रत्येक स्थान पर निर्धारित दुकान हेतु अलग–2 निविदा फार्म भरना अनिवार्य है। नियमानुसार उच्च निविदा अंकित फर्म/संस्था/व्यक्ति को वरीयता क्रम से **केवल एक ही दुकान का लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।**
3. प्रत्येक दुकान हेतु अलग से निविदा फार्म एवं अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) का ड्राफ्ट संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
4. उपरोक्त दुकान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय के अन्य दुकानों के अनुरूप जनरल/स्टेशनरी स्टोर्स/जलपान आदि की व्यवस्था निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए खोली जा रही है। उक्त दुकान के खुलने एवं बन्द होने के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बरकछा, मीरजापुर के आचार्य प्रभारी के कार्यालय में दिनांक .. .. तक प्रातः 11:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) पूर्णरूपेण भर कर जमा किया जा सकता है।
6. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार मात्र) का डी0डी0 अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) हेतु अध्यक्ष, खाद्य प्रबन्धन एवं दुकान आवंटन समिति, राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मीरजापुर के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) को सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य राशि लौटा दी जायेगी।
7. अधितकम निविदा राशि अंकित करने वाले फर्म/संस्था/व्यक्ति की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को उक्त दुकान हेतु प्रतिमाह की लाइसेंस फीस मानी जायेगी, जिसका भुगतान आवंटन के पश्चात लाइसेंसी फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रत्येक माह में प्रथम सप्ताह को किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक माह के लाइसेंस फीस पर भारत सरकार द्वारा लागू वस्तु एवं सेवा कर अथवा समय–2 भारत सरकार द्वारा लागू कर भी देय होगा। यदि किसी लाइसेंसी द्वारा 03 महीने तक लाइसेंस फीस, कर एवं अन्य बकायों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें नोटिस दिया जायेगा एवं 06 माह का बकाया होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा एवं दुकान खाली कराकर, उनके विरूद्ध **"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में दुकानों के लाइसेंस और बेदखली से संबंधित नियमावली"** के तहत कार्यवाही की जायगी।
8. सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि का तीन (03) गुना धरोहर राशि के रूप में निविदा खुलने के 7 दिनों के अन्दर जमा कर देना अनिवार्य होगा। किसी भी अवस्था में अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) एवं धरोहर राशि वापसी के समय किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। निविदा में लगायी गयी बोली की कुल धनराशि तथा धरोहर राशि को जमा करने पर ही सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति को उपरोक्त दुकान चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति उपरोक्त दुकान चलाने के इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा की गयी

रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार मात्र) की अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) को जब्त करते हुए अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा।

9. नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प भुल्क पर संदर्भित दुकानों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय एवं लाइसेंसियों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित कराया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण वहन सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

10. विश्वविद्यालय किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है।

11. दो या अधिक फर्मों/संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर दुकान के संचालन हेतु फर्म/संस्था/व्यक्ति के चयन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

12. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13. सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति जिनको कि उक्त दुकान चलाने हेतु लाइसेंस प्रदत्त किया जायेगा, उनकी दुकान की स्वच्छता, दुकान में बिक्री की जाने वाली सामाग्रियों की गुणवत्ता इत्यादि बनाये रखने की भी जिम्मेदारी उनके स्वयं की होगी, जिसकी जाँच समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत समिति/व्यक्तियों से कराई जायेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार की कमी या किसी भी तरह की लापरवाही लाइसेंस निरस्त करने का पर्याप्त कारण बन सकती है एवं **जुर्माना, कराये गये अनुबन्ध के अनुसार लगाया जा सकता है।**

14. इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति को दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं की दरों को स्पश्ट रूप में मेनू सूची में उल्लेख करना होगा एवं इसका उल्लंधन करने पर **जुर्माना, कराये गये अनुबन्ध के अनुसार लगाया जा सकता है।**

15. इच्छुक फर्मों/संस्थाओं/व्यक्तियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व आवंटन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं क्षेत्रफल तथा विक्रय की जाने वस्तुओं का आकलन करके ही निविदा राशि अंकित करें, क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता/बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16. सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति अपने निविदा के साथ दुकान चलाने का कार्य अनुभव का ब्योरा (यदि कोई हो तो) संलग्न करें। कार्य अुनभव वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को लाइसेंस निर्गत करने में वरीयता प्रदान की जा सकती है।

17. उक्त दुकान आदि हेतु गैस, चूल्हा, बर्तन, साज सज्जा इत्यादि की स्तरीय व्यवस्था लाइसेंस प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति को ही अपने व्यय पर करनी होगी।

18. इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति को निर्धारित लाइसेंस फीस के अतिरिक्त बिजली व पानी व्यय का भुगतान विद्युत व आपूर्ति विभाग, बी0एच0यू0 के बिल के आधार पर करना होगा।

19. विश्वविद्यालय द्वारा दुकान में बिजली के मीटर लगाने की व्यवस्था की जायेगी, जिसकी लागत लाइसेंसी फर्म/संस्था/व्यक्ति से वसूल की जायेगी।

20. उक्त दुकान हेतु फर्नीचर, वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर आदि की व्यवस्था सम्बन्धित फर्म/संस्था/व्यक्ति स्वयं करेगा।

21. उक्त दुकान में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी तथा उन्हें साफ सुथरे वस्त्रों/कपड़ों में होना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी लाइसेंस प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति की होगी।

22. निविदा में फर्म/संस्था/व्यक्ति को लाइसेंस जारी करने से पहले उनका पुलिस सत्यापन विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षाधिकारी द्वारा सत्यपित कराया जायेगा तथा चाल–चलन अच्छा पाये जाने के पश्चात् ही लाइसेंस जारी किया जायेगा।

23. चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा नियुक्त दुकान में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का फोटोयुक्त आवासीय विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा जिससे उनके चाल–चलन इत्यादि का सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जा सके।

24. चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति के द्वारा नियुक्त दुकान में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से दुकान की सेवा से वंचित करने का निर्णय ले सके तथा चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति को उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।

25. चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति किसी भी रूप में बाल श्रमिक को दुकान/कैन्टीन संचालन हेतु नहीं रखेगी।

26. यदि उपरोक्त दुकान संचालन हेतु जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार की आदेश की आवश्यकता बनती है तो उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति की होगी।

27. प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस की समीक्षा लाइसेंस समिति द्वारा की जायेगी और लाइसेंस अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में यदि उचित समझे जाने पर आवश्यक प्रतिशत बढ़ोत्तरी भी की जायेगी, जो की लाइसेंस प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति को मान्य होगा। साथ ही भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दुकानों आदि हेतु जारी निर्देशों/नियमावली का अनुपालन संबंधित फर्म/संस्था/व्यक्ति को करनी होगी।

28. निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी रखने हेतु यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में आता है कि किसी फर्म/संस्था/व्यक्ति की निविदा भ्रामक है जो कि एक सुयोग्य निविदा को इस निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने में बाधा पहुंचा रही है तो उस निविदा को निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बाध्यकारी, सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

29. विश्वविद्यालय एवं उसके किसी कर्मचारी के द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के हित में लिये गये निर्णय के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

30. प्रस्तावित दुकानों हेतु प्रदत्त स्थान पर ही दुकानों का संचालन किया जायेगा जिसका निर्माण एवं मरम्मत आदि आधुनिक तरिकों से करते हुए (मूल ढ़ाचे में बिना कोई बदलाव किये हुए) संचालक द्वारा किया जायेगा।

31. विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी अथवा छात्र की उपरोक्त निविदा मान्य नहीं होगी।

32. **"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में दुकानों के लाइसेंस और बेदखली से संबंधित नियमावली"** के अधीन पर्याप्त कारण के आधार पर लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है।

33. दुकान लाइसेंसी द्वारा बनाये जाने के स्थिति में उनके द्वारा बनायी गयी दुकान का हस्तान्तरण/अहस्तान्तरण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा, जिसको लाइसेंसी मानने के लिये बाध्य होगा।

34. इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति को दी गयी अनुमति से विश्वविद्यालय परिसर में कोई किरायेदारी या मालिकाना अधिकार या कोई अन्य हित पैदा नहीं होगा एवं आवंटित दुकान विश्वविद्यालय के अनन्य स्वामित्व, नियंत्रण और कब्जे में बना रहेगा।

35. इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थो की दुकान संचालन हेतु Food Safety and Standards Act, 2006 के अन्तगर्त पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

36. इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा दुकान संचालन हेतु नियमानुसार Goods & Service Tax Act के अन्तगर्त पंजीयन कराना अनिवार्य है।

37. लाइसेंस फीस प्रत्येक महीने के दस तारीख तक जमा करना होगा विलम्ब होने पर विश्वविद्यालय द्वारा जुर्माना लगाया जायेगा। यदि तीन महीने तक लाइसेंस फीस एवं अन्य देय का भुगतान न किया गया तो विश्वविद्यालय लाइसेंस को निरस्त कर सकता है।

आचार्य प्रभारी,
राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बरकछा,
मीरजापुर।